

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 16 अप्रैल, 2019

वषय:- वत्तीय वर्ष 2019-20 में कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय के अधिष्ठान  
व्यय हेतु प्रावधानित धनराश की वत्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त वषयक आपके पत्र संख्या-11/कु.उ.नि.-1252-बजट-2019-20, दिनांक-  
05-04-2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू  
वत्तीय वर्ष 2019-20 में कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय उओप्रओ को निदेशन तथा  
प्रशासन के अन्तर्गत प्रावधानित धनराश रू० 58.85 लाख (रूपये अठ्ठावन लाख पचासी  
हजार मात्र) में से रू० 56.09 लाख (रूपये छप्पन लाख नौ हजार मात्र) की धनराश  
संलग्न फॉट/ववरण के अनुसार व्यय करने हेतु वत्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराश कोषागार से मासिक आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा  
आहरित की जायेगी।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराश के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी कये  
गये मतव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, साथ ही  
आहरण-वतरण अधिकारी उक्त वत्तीय स्वीकृति की धनराश व्यय करते समय वत्त  
(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-  
231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित  
करेंगे।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराश का मासिक व्यय ववरण प्रपत्र बी०एम०-13 में प्रत्येक  
माह सचिव, वत्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 उओप्रओ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराश का व्यय वत्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की  
अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2851-ग्राम तथा लद्यु उद्योग-001-निदेशन तथा  
प्रशासन-03-कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत निर्धारित सुंसगत मानक  
मदों में व्यवस्थित धनराश के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- यह आदेश वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वत्त वभाग द्वारा प्रशासकीय वभागों को समय-समय पर प्रतिनिधानित अधिकारों/आदेशों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

( सुरेश चन्द्र )  
संयुक्त सचिव।

संख्या-22/2019/297(1)/59-2-2019-10(खा)/2017, तददिनांक

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, वत्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वत्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- निदेशक स्थानीय निध लेखा परीक्षा वभाग, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 6- उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) छठा तल योजना भवन, लखनऊ।
- 7- वत्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सुरेश चन्द्र )  
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या- 22/2019/297/59-2-2019-10(खा)/2017, दिनांक 16 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

वर्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-5 के लेखा शीर्ष-2851-ग्राम तथा लद्यु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षों में अधष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति हेतु निम्न ववरण के अनुसार धनराश रू0 56.09 लाख (रूपये छप्पन लाख नौ हजार) वत्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावत धनराश का ववरण।

(धनराश लाख रू0 में)

मद सं0	ववरण	प्रस्तावत मांग
01	वेतन	39.98
02	मजदूरी	0.10
03	मंहगाई भत्ता	6.00
04	यात्रा व्यय	0.30
06	अन्य भत्ते	0.01
07	मानदेय	0.10
08	कार्यालय व्यय	0.30
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.20
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मरम्मत	0.50
13	टेलीफोन पर व्यय	0.30
15	गाड़ी अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	2.00
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00
42	अन्य व्यय	0.15
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं प्राप्त गक व्यय	0.20
45	अवकाश यात्रा व्यय	0.15
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी क्रय	0.50
49	च कत्सा व्यय	1.00
51	वर्दी व्यय	0.05
55	मकान कराया भत्ता	2.71
56	नगर प्रतिकर भत्ता	0.54
	योग	56.09

(रूपये छप्पन लाख नौ हजार मात्र)

( सुरेश चन्द्र )  
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।